UPMO010055112023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. (महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों हेतु) कक्ष संख्या 1, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी– (प्रीति सिंह–द्वितीय), **(उ0प्र0 न्यायिक सेवा) – UP01613**

सत्र परीक्षण संख्या-780/2023

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

आशीष एग्वर्ट पुत्र एस.आर.एल.बी. एग्वर्ट, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी-408 विनोला हाउस लाइनपार, माता मन्दिर के सामने, थाना मझौला, जनपद मुरादाबाद।

……..……....अभियुक्त।

अपराध संख्या	140/2023
अन्तर्गत धारा	328,376,504,507 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–67 ए आई0 टी0 एक्ट
थाना व जिला	मझौला, जिला– मुरादाबाद
वादिनी	पीड़िता
प्रतिनिधित्व (वादिनी)	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अशोक कुमार यादव
अभियुक्त	आशीष एग्वर्ट
प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	स्वयं अभियुक्त
घटना का समय	अदम तहरीर
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने की तिथि	28.02.2023
आरोप पत्र संख्या व प्रेषित किये जाने की तिथि	236/2023, दिनांक-06.04.2023
सत्र सुपुर्दगी	30.05.2023
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	02.08.2023

<u>उक्त वाद में अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल प्रपत्रों पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्शः–</u>

क्र0 सं0	प्रदर्श सं0	प्रपत्र का नाम	प्रमाणितकर्ता
1.	प्रदर्श क–1	तहरीर प्रार्थना पत्र	पी0 डब्लू0–1 वादिनी/पीड़िता

Digitally signed by PRITI SINGH
Date: 2026.01.20 16:50:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2.	प्रदर्श क−2	बयान अन्तर्गत धारा−164 सीआर.पी.सी.	पी0 डब्लू0−1 वादिनी/पीड़िता
3.	प्रदर्श क−3	शील्ड लिफाफा	पी0 डब्लू0−1 वादिनी/पीड़िता
4.	प्रदर्श क−4	चिकित्सीय आख्या	पी0 डब्लू0-4 डॉक्टर सुजाता गौतम
5.	प्रदर्श क-5	पूरक चिकित्सीय आख्या	पी0 डब्लू0-4 डॉक्टर सुजाता गौतम
6.	प्रदर्श क-6	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0 डब्लू0-5 महिला कां0-168 मोनिका यादव
7.	प्रदर्श क-7	जी0 डी0 कायमी	पी0 डब्लू0-5 महिला कां0-168 मोनिका यादव
8.	प्रदर्श क-8	नक्शा नजरी	पी0 डब्लू0-6 निरीक्षक जयदेव सिंह (विवेचक)
9.	प्रदर्श क-9	फर्द मोबाईल (अभियुक्त)	पी0 डब्लू0-6 निरीक्षक जयदेव सिंह (विवेचक)
10.	प्रदर्श क-10	प्रार्थना पत्र (साईबर सैल)	पी0 डब्लू0-6 निरीक्षक जयदेव सिंह (विवेचक)
11.	प्रदर्श क-11	आरोप पत्र	पी0 डब्लू0-6 निरीक्षक जयदेव सिंह (विवेचक)
12.	वस्तु प्रदर्श 1 ता 3	माल मुकदमा	पी0 डब्लू0-6 निरीक्षक जयदेव सिंह (विवेचक)

निर्णय

1. सत्र परीक्षण संख्या−780/2023 में पुलिस थाना मझौला, जिला मुरादाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-140/2023 में अभियुक्त आशीष एग्वर्ट के विरूद्ध आरोप−पत्र अन्तर्गत धारा−376,328,504,507 भारतीय दण्ड संहिता व 67 ए आई.टी.एक्ट विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसपर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 20.04.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया। उक्त मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण दिनांक 30.05.2023 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 09.01.2025 के अनुपालन में उक्त पत्रावली अंतरित होकर दिनांक 15.01.2025 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **दिनेश उर्फ बुद्धा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2006(3) एस.सी.सी. 771** में दिये गये सम्प्रेक्षण के अनुसार इस निर्णय में “पीड़िता” का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है और निर्णय में “पीड़िता” के नाम के स्थान पर **“पीड़िता”** शब्द प्रयुक्त किया जायेगा।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा दिनांक 28.02.2023 को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र थाना मझौला, जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया कि “प्रार्थिनी पुत्री स्व 0 राजेश मसीह निवासी मिशन कम्पाउन्ड। प्रार्थिनी के घर आशीष एडवर्ड का काफी समय से आना जाना है। आशीष एडवर्ड ने प्रार्थिनी को पूर्व में नशीला पदार्थ पिलाकर गलत काम किया था और जिसके विडियो और फोटो भी अपने मोबाइल में बना लिये थे जिसके आधार पर आशीष प्रार्थिनी को लगातार ब्लैकमेल कर गलत काम करता आ रहा है। प्रार्थिनी ने आशीष से अपना पीछा छुड़ाने के लिए मुरादाबाद छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी कर ली है जिससे बौखलाकर आशीष ने प्रार्थिनी के Facebook अकाउंट और Google Account को हैक कर प्रार्थिनी के फोटो अपलोड कर सारे रिश्तेदारों में भेजने शुरू कर दिये और फोन कर धमकियाँ देने लगा कि

अगर तू अभी वापस नहीं आई तो तुझे व तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा और तेरी अश्लील वीडियो व फोटो सब में वायरल कर दूँगा जिससे प्रार्थिनी बहुत ही परेशान हो गयी और ऐसा न करने को कहा तो आशीष ने गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ फोन पर देते हुए जान से मारने की धमकी दी जिससे परेशान होकर प्रार्थिनी ने 112 नम्बर पुलिस को फोन कर सूचना दी। उक्त आशीष एडवर्ड बहुत ही शातिर व दबंग किश्म का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध थाना मझोला में मुकदमा अपराध सं0-133/18 धारा-494,307,323,504,506 दर्ज है। अतः श्रीमान जी प्रार्थना है कि प्रार्थिनी का मुकदमा दर्ज कर आशीष एडवर्ड पुत्र S.R.L.B. एडवर्ड निवासी लाइनपार माता मन्दिर के सामने थाना मझोला मुरादाबाद के विरूद्ध प्रार्थिनी का मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

4. उक्त प्रार्थना पत्र **प्रदर्श क-1** के आधार पर दिनांक 28.02.2023 को ही अभियुक्त आशीष एग्वर्ट के विरूद्ध थाना मझौला, जिला मुरादाबाद में मुकदमा अपराध सं0-140/2023, धारा-376,328,504,507 भारतीय दण्ड संहिता व 67ए आई.टी.एक्ट के अन्तर्गत दर्ज हुआ, जिसका खुलासा रोजनामचा आम में किया गया।

5. प्रश्नगत मामले में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त आशीष एग्वर्ट के संबंध में अन्तर्गत धारा- 376,328,504,507 भारतीय दण्ड संहिता व 67ए आई.टी.एक्ट में आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया।

6. विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामले को सत्र न्यायालय में विचारण हेतु सुपुर्द किया गया।

7. प्रश्नगत मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अभिकथन व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के दृष्टिगत अभियुक्त आशीष एग्वर्ट के विरूद्ध दिनांक 02.08.2023 को धारा- 376,328,504,507 भारतीय दण्ड संहिता व 67ए आई.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया।

8. उपरोक्त मामले में अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पीडब्लू0- 1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता, पी0 डब्लू0- 2 श्रीमती कमलेश/पीड़िता की माँ, पी0 डब्लू0-3 सनी आर. मैसी/पीड़िता का भाई, पी0 डब्लू0-4 डॉक्टर सुजाता गौतम, पी0 डब्लू0- 5 महिला कां0 168 मोनिका यादव, पी0 डब्लू0-6 निरीक्षक जयदेव सिंह (विवेचक) को परक्षित कराया गया है।

9. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रार्थना पत्र को प्रदर्श क-1, पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा-164 दंड प्रक्रिया संहिता को प्रदर्श क-2, सील बंद लिफाफे को प्रदर्श क-3, चिकित्सीय आख्या को प्रदर्श क-4, पूरक चिकित्सीय आख्या को प्रदर्श क-5, प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-6, जी0 डी0 कायमी को प्रदर्श क-7, नक्शा नजरी को प्रदर्श क-8, फर्द लेने कब्जा अभियुक्त का मोबाईल को प्रदर्श क-9, साईलर सैल को दिये प्रार्थना पत्र को प्रदर्श क-10 एवं आरोप पत्र को प्रदर्श क-11 व बरामद माल मुकदमा को वस्तु प्रदर्श 1 ता 3 के रूप में साबित कराया गया है।

10. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा- 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक के विषय में कहा कि "पीड़िता विगत 14 वर्षों से मेरे साथ लिव-

इन-रिलेशन में रह रही है। कुछ लोगों द्वारा उसे उकसा कर मेरे विरूद्ध मुकदमा लिखाया गया है" और कहा कि "प्रार्थी लिव-इन सहभागी को दबाव में लेकर प्रार्थी प्रार्थी पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। द्वारा कोई गैर कानूनी कृत नहीं किया। पीड़िता के जीजा शगुन अग्रवाल व आई 0 पी0 एस 0 अधिकारी श्री अमित पाठक के सम्बन्धों की जांच कराने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र देने के कारण शगुन अग्रवाल द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध पीड़िता को दबाव में लेकर उक्त मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थी द्वारा बहुत से प्रकरण जो कि वृहत स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से समाज को प्रभावित व खोखला करते है को सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस कारण कुछ नेता व व्यूरोक्रेटस प्रार्थी से काफी समय से खफा चल रहे थे, उक्त मुकदमा इसी खिलाफत की परीगीती है। पुलिस द्वारा प्रार्थी के फोन का केवल वही डाटा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो कि प्रार्थी के विरूद्ध जा सकता था इसके अतिरिक्त अन्य फोन जिनका प्रार्थी व मुकदमे से कोई सम्बन्ध ही नहीं था को प्रार्थी के विरूद्ध पत्रावली पर प्रस्तुत किया है। गवाहों का भी भरपूरी से मैनूप्लेशन किया गया है। प्रार्थी बचाव पक्ष के अवसर पर सम्पूर्ण तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा" तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया।

11. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

12. अभियोजन द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी/पीड़िता के साथ अपनी जान पहचान/निजी सम्बन्धों का लाभ उठाकर पीड़िता के साथ बलात्कार का अपराध कारित करने के आशय से उसको कोई नशीला पदार्थ देकर उसके साथ बलात्कार किया गया। उसके पश्चात् वादिनी को प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौच की गई, अपने अनाम संसूचना द्वारा, नाम व निवास स्थान छिपाने की पूर्वाविधानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया गया व पीड़िता के फोटो व वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देता रहा व उसे ब्लैकमेल किया। अभियोजन द्वारा अपने इस कथानक को साबित करने के लिए वादिनी मुकदमा/पीड़िता को पी0 डब्लू0-1, पीड़िता की माँ श्रीमती कमलेश को पी0 डब्लू0-2 व पीड़िता के भाई सनी आर. मैसी को पी0 डब्लू0-3 के रूप में परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा प्रदर्श क-1 लगायत प्रदर्श क-11 अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में दाखिल किया है। अभियोजन अपने केस को साबित करने में सफल रहा है, अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि की जाये।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध झूठा व फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, अभियोजन अपने केस को साबित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

13. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "मैं मिशन कम्पाउण्ड, मुरादाबाद में रहती हूँ। प्रार्थिनी के घर पर आशीष एग्वर्ट का काफी समय से आना जाना है। आशीष एग्वर्ट ने मुझसे कहा था कि एक क्लाईंट का मेडिकल कराना है, मेरे साथ चलो। आशीष एग्वर्ट मुझे कार से अस्पताल से कहकर ले गये थे। उस दौरान इन्होंने मुझे कार में एक वीडियो दिखायी जिसमें मैं व आशीष एग्वर्ट आपत्तिजनक स्थिति में

थे जिसमें वह मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। मैंने पूछा कि मेरी यह वीडियो कब बना ली तो आशीष एग्वर्ट ने कहा कि उसने नशीला पदार्थ पिला दिया था और उसके पश्चात् बनायी थी। फिर आशीष एग्वर्ट ने मुझसे कहा कि तूने मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाये तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूँगा। इसके बाद फिर मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। वीडियो वायरल करने वाली बात को लेकर आशीष एग्वर्ट मेरे साथ अक्सर शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा। फिर मैं आशीष एग्वर्ट से परेशान होकर दिल्ली जॉब करने मुरादाबाद छोड़कर चली गयी थी लेकिन आशीष एग्वर्ट ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ पर मेरे घर पर आ जाता था। मेरे साथ वहाँ पर मेरे घरवालों के साथ गाली गलौच करता था। आशीष एग्वर्ट ने मेरा फेसबुक व गूगल अकाउण्ट हैक कर लिया था जिसपर मेरे अश्लील (गन्दे फोटो) वायरल कर दिये थे जिस पर मेरे रिश्तेदारों के फोन मेरे पास आये थे, कह रहे थे कि तुमने यह कैसे फोटो अपलोड कर दिये हैं। मैंने आशीष एग्वर्ट से कहा था कि तुमने मेरे फोटो क्यूँ अपलोड कर दिये हैं तो कहा था कि अभी तो पूरी रात पड़ी है, मैं और अपलोड करूँगा। मैं वकील हूँ, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। तब मैंने 112 नम्बर कर कॉल की थी। घटना से सम्बन्धित पूरी बात बतायी थी जिस पर पुलिस ने आशीष एग्वर्ट को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद थाना मझोला में आशीष एग्वर्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी थी। मुकदमा दर्ज कराया था। मेरे द्वारा एक हस्तलिखित तहरीर थाना मझोला पर दी गयी थी जो पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0-4/4 है जो मेरे द्वारा लिखी गयी है तथा जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, तस्दीक करती हूँ, तहरीर पर **प्रदर्श क-1** डाला गया। मेरा चिकित्सीय परीक्षण हुआ था। मेरे मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुए थे। बयान अन्तर्गत धारा-164 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लिफाफा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ जो सील अवस्था में है और न्यायालय की अनुमति पर खोला गया। उसके अन्दर से तीन प्रपत्र निकले जिसमें एक बयान अन्तर्गत धारा-164 दण्ड प्रक्रिया संहिता निकला। वादिनी को वह बयान दिखाया गया तो वादिनी ने अपने फोटो को देखकर कहा कि यह बयान मैंने मजिस्ट्रेट को दिया था और अपने हस्ताक्षर को देखकर पहचाना और कहा कि यह मेरे है, हस्ताक्षर को बिन्दु 'ए' व 'बी' से चिह्नित किया गया। बयान धारा-164 सीआर.पी.सी. पर **प्रदर्श क-2** डाला गया। सील्ड लिफाफे पर **प्रदर्श क-3** डाला गया। यह बयान पत्रावली पर कागज सं0-12 ए/1 और लिफाफा 12 ए/4 है। फेसबुक व गूगल एप पर जो मेरे फोटो डाले थे, वह पत्रावली पर कागज सं0-5/17 व 5/18 है जिसमें मेरे व आशीष के फोटो है। कागज सं0-5/19 लगायत 5/24 में गूगल अकाउण्ट व फेसबुक अकाउण्ट के डिटेल पेपर्स है। विवेचक महोदय ने मेरे बयान लिये थे।"

अभियुक्त की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि "मेरी छोटी बहन नेहा की शादी 21 नवम्बर को हुई थी, सन् याद नहीं है। मेरे द्वारा लिखित तहरीर, मेरे द्वारा स्वयं पढ़ी गयी थी। तहरीर मैंने स्वयं लिखी थी, मुझे किसी ने डिक्टेट नहीं किया था। नशीला पदार्थ खिलाकर गलत काम किया था, इस घटना का दिनांक मुझे याद नहीं है। घटना का समय रात्रि था। अंधेरा हो चुका था, 7-8 बजे का समय था, मैं अन्दाजे से कह रही हूँ। मुझे याद नहीं है कि आप उस समय कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहा थे।" ब्लैकमेल करने के बारे में पूछने पर पीड़िता ने बताया कि "मुझे आपको बाहर बुलाना होता था, मेरी बहन 8 महीने की गर्भवती थी तो इन्होंने मुझसे बोला अगर बाहर नहीं आओगी तो मैं मर जाऊँगा, तेरी बहन के सामने, उसकी डिलीवरी की ऐसी तैसी, मर जायेगी और उसकी जिम्मेदार तू होगी। बाहर बुलाने के सम्बन्ध में बताया कि आप कहते थे कि मुझसे शादी करनी है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। बहन की डिलीवरी का टाईम, दिन, दिनांक व वर्ष मुझे याद नहीं

है। मेरी बहन के दो बच्चे हैं। मैं पहली डिलीवरी की बात कर रही हूँ। मैं दिल्ली शहर में पीछा छुड़ाकर गयी थी, सन् मुझे याद नहीं है, दो तीन बार गयी थी।" एक ही बार में दो तीन बार कैसे जाते है के प्रश्न का उत्तर में पीड़िता ने जवाब दिया कि "जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गयी थी तो मैं पार्क हॉस्पिटल गयी थी जो कौशाम्बी में है फिर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि आप मुझे लेने आ गये थे। मुझे फिर परेशान किया गया तो मैं वीमेन्स हॉस्पिटल दिल्ली चली गयी थी।" अभियुक्त द्वारा प्रश्न पूछने पर कि पार्क अस्पताल आप गयी थी और आपने कहा मैं लेना आया था तो क्यों लेने आया था के उत्तर में पीड़िता ने बताया कि "आप स्वयं ही अपने साथ रहने को कहते थे। मैंने शपथ ली लेकिन बाईबिल की शपथ नहीं ली। मैं इस बाईबिल को पहचानती हूँ, मैं इस बाईबिल (पवित्र ग्रन्थ) के साथ कुछ वचन लिये थे कि मैं अपना जीवन बाईबिल के अनुसार ही जीऊंगी। आपने मुझसे सात साल का समय मांगा था चूँकि मैंने तेरे साथ गलत किया है और मैं तेरी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ और मैंने परमेश्वर की उपस्थिति जानकर आपको सात साल का समय दिया था।" हमारे बीच शादी का वचन हुआ था या नहीं के उत्तर में बताया कि "हाँ आपने बोला था, मैंने टाईम दिया था, आपने बोला था। आपने मुझसे कहा था कि मैं सारी चीजे ठीक कर दूँगा क्योंकि आप शादीशुदा थे आपको अपनी पत्नी से परमिशन लेनी थी, मेरे परिवार से भी परमिशन लेनी थी। विवाह प्रस्ताव से पहले मेरी पहली शर्त यह थी कि मेरी फैमिली व आपकी फैमिली राजी हो। दूसरी शर्त यह थी कि आपने जो मेरे साथ किया है, वह मेरी मम्मी के सामने कन्फैस करोगे। दोनों शर्तों में से आपने मेरी मम्मी के सामने जाकर सारी बाते स्वीकार की थी तथा कहा था कि हाँ मैंने इसके साथ गलत किया है इसलिए मैं इसकी जिम्मादारी उठाना चाहता हूँ लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया था। मेरी मम्मी ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने थाने नहीं गयी थी बल्कि मैंने 112 नम्बर पर फोन किया था इन्होंने मेरी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, मेरा फोन हैक करके इसलिए मैं थाने गयी थी। इन्होंने मुझसे कहा था कि अभी तो मैंने तेरी एक फोटो अपलोड की है और डेढ़ सौ फोटो भी अपलोड करूँगा।" जिस फोन से धमकी मेरे द्वारा दी जाने वाली बात आपने कही है, यह फोन मैंने किया था, के जवाब में पीड़िता ने कहा कि "यह फोन कॉल मैंने की थी। चूँकि मैंने आपको (इस नम्बर) ब्लॉक कर रखा था जब इन्होंने मेरी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो मैंने आपको कॉल की थी तब आपने उपरोक्त अपलोड करने वाली बात बोली थी। मैंने उस दिन कई सारी कॉल की थी, कॉल की गिनती याद नहीं है। मैंने Request करने के लिए फोन किया था, कृपया मेरी फोटो अपलोड न करें। उस कॉल में मैंने धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरे फोटो अपलोड करने बंद नहीं किये तो मैं आपकी शिकायत कर दूँगी। मैंने उपरोक्त शब्दों के अलावा अन्य कोई शब्द इस्तेमाल किये होंगे तो गुस्से में किये होंगे, मुझे याद नहीं है। प्रत्येक फोन में कॉल रिकॉर्डर होता है, मैंने कुछ कॉल रिकॉर्ड की थी, कुछ नहीं की थी। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग पुलिस को दी थी, पैन ड्राईव के माध्यम से दी थी। आपने व्यक्तिगत रूप से कोई अश्लील फोटो नहीं भेजी थी बल्कि सोशल मीडिया पर अपलोड की थी और धमकी दी थी कि बाकी भी अपलोड कर दूँगा। यह कहना सही है कि मैंने जो तहरीर में यह लिखा है कि अगर तू अभी वापस नहीं आयी तो मैं तुझे व तेरे परिवार को बर्बाद कर दूँगा, और तेरी अश्लील वीडियो व फोटो सब में वायरल कर दूँगा, यह बात मैंने ही लिखी है किसी के कहने पर यह बात नहीं लिखी थी। आपने फोन पर धमकी नहीं दी थी। गन्दी-गन्दी गालियाँ भी नहीं दी थी, सिर्फ फोटो अपलोड करने की बात कही थी। जब 112 नम्बर पर फोन किया था, उस समय मैं मनीपाल अस्पताल गाजियाबाद में थी। हाँ मनीपाल अस्पताल में Attendent शीट बनती है। वहाँ मेरी ड्यूटी दोपहर दो बजे से रात्रि के आठ बजे तक रहती है।"

आपने जो फोन पर मुझसे बात की थी, उसका समय 09.30 रात्रि से साढे तीन बजे के बीच का था और आपने बार-बार पेसेन्ट के Medication के लिए फोन काटा था, के उत्तर में पीड़िता ने कहा कि “मैं इसका जवाब नहीं देना चहती क्योंकि मुझे याद नहीं है। हाँ आप शातिर, हेकड़, दबंग, कमीने किस्म के व्यक्ति हो। यह मुझे तब पता चला जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, कमीनापन सन् 2013 से पता चला जब मैं नर्सिंग इण्टरशिप कर रही थी।” इण्टरशिप जब आप कर रही थी तब मेरे साथ क्यों आती जाती थी और इसके लिए आपके माता-पिता द्वारा कोई मंजूरी दी गयी थी और क्यूँ, के उत्तर में पीड़िता ने बताया कि “मेरे पाता-पिता ने इन्हें मंजूरी दी थी, ऐसा मुझे ज्ञान में नहीं है और आपके साथ आना-जाना मैंने तब शुरू किया जब आपने मेरी जिम्मेदारी को उठाना मंजूर किया था।” क्या मेरे द्वारा दिये गये विवाह प्रस्ताव के लिए इस अस्पताल साथ आने जाने को आपकी मोन सहमति मान लिया जाये के उत्तर में पीड़िता ने बताया कि “नहीं, मैं इसलिए आती जाती थी क्योंकि आपने मेरे को बोला था कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा यह मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपको I Love You कब कहा मुझे याद नहीं है, पिछले 10 सालों में I Love You कहा था, कितनी बार कहा था, मुझे याद नहीं है।” आपको कब पता चला कि आपके साथ बलात्कार हुआ है के उत्तर में बताया कि “आप मुझे कार में अपने साथ ले गये थे, उस कार में आपने मुझे एक वीडियो दिखायी थी तब बलात्कार किया था। सन् 2013 में वीडियो दिखायी थी, तब मेरे साथ बलात्कार किया था। बलात्कार शब्द चेंज करना नहीं चाहूँगी।” मर्जी की परिभाषा के सम्बन्ध में बताया कि अगर आप intercorse करते है तो मेल व फीमेल दोनों की मर्जी होती है, अगर फीमेल की मर्जी नहीं होती है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। अगर पुरूष साथी की मर्जी न हो तो वह किस श्रेणी में आता है, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। मेरे साथ बचपन में sexual assaultation हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, इसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब मेरे इस केस से सम्बन्धित है क्योंकि वह मेरा मामा था इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है क्योंकि यह मेरा पर्सनल मामला है, इस केस से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरी माताजी का पूरा नाम कमलेश है। कमलेश के पति का पूरा नाम राजेश मसीह है। मैं कमलेश पत्नी रामअवतार नाम की किसी महिला को नहीं जानती। मेरे पिताजी के पिताजी का नाम रामअवतार है। कमलेश पत्नी रामअवतार अपनी लड़कियों का सौदा करती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे जानकारी है कि मैं कोर्ट में बयान दे रही हूँ, अगर कुछ भी बयान झूठा दिया तो मेरे खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। यह बात सही है कि मुझे नशीला पदार्थ खिलाया गया था। आपने मेरे साथ गलत काम (सेक्स) किया था। मुझे होश नहीं था, मैं बेहोश थी। जब वीडियो दिखाया था तो उसमें मैंने देखा कि मैं होश में नहीं हूँ, नशे में हूँ। वीडियो में आप दिखायी दे रहे थे, फेस दिखायी नहीं दे रहा था। मेरा सिर्फ फेस दिखायी दे रहा था। Sexual Activity नहीं थी, यह वीडियो कहाँ बना था, मुझे नहीं पता। मैंने तहरीर सोच समझकर लिखी थी और मुझे बहुत तेज गुस्सा भी था, कुछ चीजे मैंने बढ़ा-चढ़ाकर भी लिखी थी। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। हिन्दी व अंग्रेजी दोनों जानती हूँ। एफ 0 आई 0 आर 0 मैंने खुद लिखी थी। मैंने एफ 0 आई 0 आर 0 दरोगा जी को पढ़कर दी थी। तहरीर में लिखा था कि आशीष हमारे घर पर आता जाता था। मुझे नशीला पदार्थ मेरे घर नहीं खिलाया था। मुझे ध्यान नहीं है कि मुझे नशीला पदार्थ कब खिलाया था। मैं नहीं बता सकती कि मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध कब बनाये थे। जब मेरे साथ यह सारी चीजे हो रही थी, तब मैं आशीष के साथ नहीं रह रही थी। मैं सिर्फ महेन्द्र के यहाँ किराये पर रही हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं मौहल्ला सूर्यनगर में यादव जी व सैफी साहब के यहाँ किराये पर रही हूँ। जब मैं महेन्द्र के यहाँ किराये पर रहती थी तब

कुछ समय के लिए आशीष मेरे साथ रहा था। मैं उस समय आशीष के साथ पत्नी के रूप में नहीं रह रही थी। मैं और आशीष महेन्द्र के यहाँ न तो लिविंग रिलेशन में रहते थे और न पति पत्नी के रूप में रहते थे। परिस्थितिजनक रहते थे। यह कहना गलत है कि इस बीच मेरा गर्भपात हुआ हो। यह कहना गलत है कि मैं जब कहीं बाहर जाती थी और अपना पता बताती थी तो अपना नाम व पता पीड़िता पत्नी आशीष एग्वर्ट बताती थी। यह कहना सही है कि मैं इस बीच गर्भवती हुई थी लेकिन गर्भपात या मिसकैरेज नहीं हुआ था बल्कि ectopic pregnancy हुआ था। मैं medical expert नहीं हूँ बल्कि नर्सिंग स्टॉफ हूँ। यह प्रॉब्लम मुझे शारीरिक सम्बन्ध बनाने से हुई थी। यह घटना फरवरी की है, सन् याद नहीं है। इस समस्या के कारण मेरा ऑपरेशन हुआ था। यह ऑपरेशन धान्या नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी मुरादाबाद में हुआ था। अस्पताल में मैंने अपनी पहचान के लिए कुछ नहीं लिखाया। आशीष एग्वर्ट ने ही लिखाया था। ऑपरेशन के समय आशीष एग्वर्ट मेरे साथ नहीं थे। अस्पताल मुझे आशीष एग्वर्ट लेकर गये थे। आशीष मुझे एडमिट कराके पैसा जमा करके अस्पताल से चले गये थे। मैं तीन या चार दिन धान्या अस्पताल में भर्ती रही थी। इस बीच आशीष मुझसे मिलने आते थे। मुझे पता है कि दवाईयों व ब्लड का इंतजाम आशीष ने ही किया था। मुझे देखने मेरे परिवार के लोग नहीं आये थे क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं थी। हम पांच भाई बहन है। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई है, उसका नाम अमित है। मुझसे छोटी एक बहन है, फिर उससे छोटी एक बहन है, सबसे छोटा भाई है जिसका नाम सनी है। मेरी बहनों के नाम शालिनी राजेश, नेहा मसीह है। मेरे भाई के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। कितने मुकदमे चल रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं निधि नाम की लड़की को जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ रहती है। मैं इसके बाप का नाम भी नहीं जानती। मेरी जानकारी में नहीं है कि निधि ने मेरे भाई अमित के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लिखाया था, निधि ने केस किया था लेकिन क्या किया था, मुझे नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि निधि ने मेरे खिलाफ, आशीष व अमित के खिलाफ कोई मुकदमा लिखाया था। मुझे याद नहीं है कि अमित जेल गया था या नहीं। आशीष का नाम था लेकिन उस केस की मुझे Proper जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं जान बूझकर झूठ बोल रही हूँ कि 376 आई0पी0 सी0 का मुकदमा हट गया था, बाद में अमित ने बेल करायी थी तथा मुकदमा इस समय चल रहा है। मैं आशीष के साथ तीन होटलों में घूमने गयी हूँ। एक होटल में हम दोनों ठहरे थे। होटल में आई0डी0 दी थी या नहीं, मुझे याद नहीं है। पूर्व में जो बयान sexual assault के सम्बन्ध में दिये हैं, उनके सम्बन्ध में मेरे माता-पिता ने एफ0आई0आर0 नहीं करायी थी। मैं आजकल अकेली रह रही हूँ। यह कहना गलत है कि वर्तमान में मैं आशीष पुत्र श्री जितेन्द्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ। यह कहना गलत है कि मैं स्वेच्छा से आशीष एग्वर्ट के साथ रही हूँ। फिर खुद कहा कि परिस्थिति के आधार पर ही आशीष एग्वर्ट के साथ रही हूँ।"

14. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0- 2 श्रीमती कमलेश/पीड़िता की माँ** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "मेरे बड़े बेटे अमित के साथ आशीष एग्वर्ट का मेलजोल था, इस वजह से आशीष एग्वर्ट का मेरे घर आना जाना था। मेरी बड़ी बेटी पीड़िता नर्सिंग की ट्रेनिंग विवेकानन्द हॉस्पिटल मुरादाबाद में कर रही थी। आशीष एग्वर्ट ने मेरी बेटी का पीछा करना शुरू कर दिया। हमने आशीष एग्वर्ट को बहुत समझाया कि मेरी बेटी पीड़िता का पीछा मत करो। मेरी बेटी पीड़िता का आशीष एग्वर्ट ने शराब पिलाकर बलात्कार किया और कार में बैठाकर कहीं ले गये थे, उसमें किया था और मेरी बेटी पीड़िता के गन्दे-गन्दे फोटो खींचे और वीडियो बनाई। आशीष एग्वर्ट

ने हमें फोन पर धमकी दी और गन्दी-गन्दी गालियाँ दीं। हमने आशीष एग्वर्ट को उसके घर पर समझाया और कचहरी में चैम्बर पर भी समझाया था। हमें आशीष ने धमकाया कि तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी नहीं होने देंगे। मैं वकील हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोटी बेटी नेहा का रिश्ता तय किया तो इसने वहाँ जाकर रिश्ता तुड़वा दिया और बड़ी बेटी पीड़िता का रिश्ता तय किया तो इसने वहाँ गन्दी-गन्दी फोटो वायरल कर दी। उस लड़के के पास जिससे रिश्ता तय हुआ था और पीड़िता का रिश्ता टूट गया और इसके बाद भी आशीष पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा। इस पर मेरी बेटी पीड़िता ने बलात्कार का मुकदमा लिखाया। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की और मेरे बयान लिये।" **अभियुक्त की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "मेरा नाम श्रीमती कमलेश है, मेरे पति का नाम राजेश मैसी है, उनका देहान्त हो चुका है। मुझे यह याद नहीं कि आपका मेरे घर आना जाना किस सन् से है। मुझे ये पता है कि मेरे लड़के अमित के साथ इनका आना जाना था, कांग्रेस पार्टी के चक्कर में। ये बात बिल्कुल सही कि मैंने पुलिस को दिनांक 19.02.2023 को ये बोला था कि मेरे घर पर काफी समय से आशीष एग्वर्ट का आना जाना था। आशीष एग्वर्ट से मेरे बेटे अमित की जान पहचान हो गयी थी।" आपकी राजेश मैसी के अलावा किसी और से भी शादी हुई है के जवाब में साक्षी ने कहा कि "इसका मैं जबाव देना नहीं चाहती। पीड़िता ने ट्रेनिंग कौन से सन् में की थी, मुझे वर्ष नहीं पता लेकिन ट्रेनिंग मैंने करायी थी। मेरी पहली शादी राजेश मैसी के बड़े भाई श्याम सुन्दर से हुई थी। मेरी शादी श्याम सुन्दर से कब हुई थी, सन् ध्यान नहीं है, उस समय मेरी गोद में छः महीने का बच्चा था। मेरी शादी पहले श्याम सुन्दर से हुई थी। श्याम सुन्दर पहले खत्म हुए हैं। राजेश मैसी से शादी होने का प्रमाण है, मैं दाखिल नहीं कर सकती। राजेश से मेरे 5 बच्चे हैं। राजेश मैसी के 5 बच्चों में एक बच्चा श्याम सुन्दर से है। मेरी बेटी का कब पीछा किया, याद नहीं है। शराब पीकर पीड़िता कब मेरे सामने आयी थी, सन् और तारीख याद नहीं है। पीड़िता ने कब मुझे बताया था कि बलात्कार हुआ है, सन् और तारीख याद नहीं है। कार में बैठाने की बात पर मुझे कार का नम्बर व मॉडल याद नहीं है। पीड़िता के गन्दे-गन्दे फोटो मैंने थाने में देखे थे। पीड़िता ने जमा करे थे, तब हमने देखे थे। उससे पहले मैंने नहीं देखे, वो फोटो मैं पहचान लूंगी। पत्रावली में संलग्न फोटो सं0-5/40 ता 5/42 फोटो देखकर कहा कि ये वो फोटो नहीं है। फिर कहा वो फोटो नग्न थे। पत्रावली पर कागज सं0-15 बी/34 देखकर कहा कि ये मेरी बेटी है बाकी 15 बी/36 ता 15 बी/43 तक फोटो देखकर कहा कि ये मेरी बेटी है। मैंने सारी वीडियो देखी है। जिस लड़के से मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया था, उसका नाम नहीं पता। मुझे नहीं पता कि उस लड़के का नाम आशीष सिंह था। मुझे नहीं पता कि आशीष सिंह अभियुक्त आशीष एग्वर्ट के बड़े भाई बाली एग्वर्ट के सालों में था। पीड़िता कितने साल से नौकरी कर रही है मुझे नहीं पता लेकिन बहुत सालों से कर रही है। पीड़िता ने विवेकानन्द, मुरादाबाद में और बाहर भी नौकरी की है। दिल्ली भी कई साल नौकरी की है, कितने साल की है, मुझे याद नहीं। 2012 से 2023 तक मेरे घर पर रही थी, एक दो साल बाहर रही थी। ये कहना गलत है कि मेरी लड़की 2013 से 2023 तक मुकदमा लिखने तक घर में माहौल ठीक न होने के कारण मझोले में कमरा लेकर रही थी। वादहू कहा कि वो जॉब के कारण मझोले में कमरा लेकर रही थी मैं और मेरा बेटा साथ रहते थे। आशीष एग्वर्ट मकान मालिक के पास आते थे, मुझे नहीं पता कि आशीष का कमरा उस परिसर में कहाँ था। मुझे पता नहीं कि आशीष एग्वर्ट ने जहाँ कमरा लिया था, पीड़िताके कमरे का किराया देता था। जिस कमरे में मैं रहती थी वहाँ एक कमरा था, किचन भी थी। मेरा बेटा भी वहीं रहता था। मुझे सन् का याद नहीं है, कितने दिन रही यह भी याद नहीं है। पीड़िता विवेकानन्द

अस्पताल में काम करती थी, एक और अस्पताल में भी काम करती थी, नाम याद नहीं है। यह कहना गलत है कि पीड़िता के मामा ने जब पीड़िता 12 साल की थी तो उसके मामा अनिल ने यौन उत्पीड़न किया था। इस मामले में पीड़िता ने क्या बयान दिया है, मुझे नहीं पता। मैंने आपको सन् 2020 में 80,000/-रूपये नहीं लौटाये थे। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी ने कोई 80,000/-रूपये लिये थे। मैं यह नहीं बता सकती कि विवेचक ने मेरे एक ही बेटे को गवाह क्यों बनाया था। दिनांक 27.02.2023 को जब पीड़िता रिपोर्ट लिखाने गयी थी तब मैं व मेरा छोटा बेटा उसके साथ थे। पीड़िता दिनांक 27.02.2023 को शहर मुरादाबाद में नहीं थी, वह अपनी जॉब पर थी, गाजियाबाद। जब मैं थाने पहुँची थी तब आप थाने में थे, सुबह को थाने पहुँचे थे, समय याद नहीं है। मैंने आपकों नहीं पकड़वाया था, किसने पकड़वाया था, मुझे नहीं पता। यह कहना गलत है कि आपके मेरे ऊपर 6,50,000/-रूपये उधार हों जो कि मेरे द्वारा 2020 में मेरे रिटायरमेंट पर दिये जाने का वादा किया गया था।" आपने अपने बयानों में यह कहा कि मेरे कारण मेरी लड़की का रिश्ता टूट गया था इस रिश्ते के टूटने से पहले भी कोई रिश्ता आपने पीड़िता का किया था या नहीं के उत्तर में साक्षी ने बताया कि "पीड़िता के रिश्ते आ रहे थे लेकिन रिश्ते तय नहीं हुए थे, ट्रेनिंग चल रही थी। मुझे नहीं पता कि पीड़िता अपने पति के रूप में आपका (आशीष एग्वर्ट) का नाम लिखाती हो। मुझे नहीं पता कि पीड़िता का सन् 2017 में कोई गर्फ सम्बन्धित ऑपरेशन हुआ था। जब आप जेल गये थे तब पीड़िता अपना सामान उठाकर ले गयी थी। मुझे नहीं पता कि उसके साथ कोई था या नहीं। पीड़िता के आपके अतिरिक्त किसी अन्य से कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं है। शगुन अग्रवाल मेरे दामाद है। शगुन अग्रवाल को आपने मकान से बेदखल कर दिया है। मुझे नहीं पता कि शगुन अग्रवाल सट्टे की खाईबाड़ी करता है। मेरी आँखोंसे कम दिखता है। अंकित मेरा बेटा है, उसकी शादी हो चुकी है। उसकी बेटी गोद में है। कागज सं0-15 बी/16 में क्रम सं0-3 पर बन्दू, मेरा बेटा अमित व सबसे छोटी बेटी अमित की है तथा क्रम सं0-4 पर बिनी अग्रवाल है जो मेरे दामाद का बड़ा भाई है। यह कहना गलत है कि मेरे बेटे के ऊपर दर्ज हुए 376 के मुकदमे के समय से आपका आना जाना मेरे घर पर शुरू हुआ था। जब आप कांग्रेस पार्टी में थे, तब से आपका आना जाना शुरू हुआ था। उस समय मेरी बेटी नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। यह कहना गलत है कि बलात्कार का मुकदमा जो मेरे बेटे ऊपर दर्ज हुआ था, मे आपका व पीड़िता का नाम था। सुनिता कुमारी को मैं जानती हूँ। सुनिता कुमारी ने एक मुकदमा आशीष एग्वर्ट, राजेश मसीह व अमित के विरूद्ध लिखाया था, उसमें पीड़िता का नाम था या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे यह भी नहीं पता कि इस मुकदमें में क्या हुआ है। थाने में कोई फैसले की बात नहीं चल रही है। बेटी ने बलात्कार का दिनांक, समय व स्थान मुझे नहीं बताया था। पूर्व के सम्बन्धों के आधार पर यह मुकदमा लिखा गया है।"

15. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 3 सनी आर. मैसी/पीड़िता ने भाई** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "हम पांच भाई बहन है जिनमें तीन बहने व दो भाई है। सबसे बड़ा भाई अमित मैसी है, उसके बाद पीड़िता, उसके बाद शालिनी राजेश है, उसके बाद नेहा मसीह व उसके बाद मैं स्वयं हूँ। मेरे बड़े भाई अमित मैसी के दोस्त आशीष एग्वर्ट हमारे घर आते रहते थे। मेरी बड़ी बहन पीड़िता विवेकानन्द अस्पताल में नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। रास्ते में पीड़िता को आशीष एग्वर्ट परेशान करने लगा। आशीष एग्वर्ट मेरी बहन पीड़िता को अपने साथ ले गया था। फिर आशीष एग्वर्ट ने मेरी बहन पीड़िता के साथ गलत काम किया। आशीष एग्वर्ट ने पीड़िता की वीडियो बनायी थी और पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और शारीरिक शोषण किया। आशीष

एग्वर्ट ने मेरी बहन पीड़िता से यह भी कहा कि आगर तूने यह बात किसी से बतायी तो तेरे भाई सनी आर मैसी को मरवा दूँगा और यह वीडियो वायरल कर दूँगा। मेरी बहन पीड़िता विवेकानन्द नर्सिंग कॉलेज में जी0 एन 0 एस 0 नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। आशीष एग्वर्ट ने मेरी बहन पीड़िता को अपने साथ ले जाकर नशा कराके गलत काम किया था व उसकी वीडियो बनायी थी। पुलिस ने मेरे बयान लिये थे।" **अभियुक्त की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "मेरा नाम अंकित मैसी भी है। मुझे मालूम है कि अगर यदि मेरा बयान झूठा होगा तो अदालत मेरे खिलाफ भी सजा की कार्यवाही कर सकती है। पीड़िता की जन्मतिथि मुझे याद नहीं है। पीड़िता मेरी सगी बहन है। हम कुल पाँच सगे भाई बहन है। कमलेश द्वारा प्रस्तुत आई.डी. के रूप में आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गई है। यह मेरी माताजी का आधार कार्ड है।" दिनांक 27.02.2023 को रात के 02.30 बजे मेरे कमरे पर दो पुलिस वालों को लेकर क्यों आये थे, पूछने पर बताया कि "आप मेरे घर में ड्रामा करके गये थे फिर मैं व मेरी पत्नी, मेरी बहन पीड़िता 112 पुलिस को फोन कम्पलेट करके आपके निवास मझौली गये थे। मेरे साथ और कोई लड़का नहीं था। दिनांक 27.02.2023 को पीड़िता मुरादाबाद में ही थी। रात के 02.30 बजे पीड़िता मुरादाबाद में मेरे साथ नहीं थी। दिनांक 27.02.2023 को हम लोग आशीष एग्वर्ट को गिरफ्तार कराने रात के 02.30 बजे गये थे। मैंने आशीष एग्वर्ट को पुलिस के सामने यह कहकर गिरफ्तार करने को कहा था कि आशीष एग्वर्ट ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और कुछ नहीं कहा था। उसके बाद पुलिस आशीष एग्वर्टको पकड़कर ले गयी थी। मैं किशन कम्पाउण्ड में रहता हूँ। मैं कभी भी पीड़िता के कमरे मझौली वाले पर नहीं रहा हूँ और न मेरी माँ रही है। पीड़िता मझौलीमें एक-दो साल रही थी। मकान मालिक के बारे में मैं नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कि पीड़िता कोई सोसाइटी, महिलाओं से सम्बन्धित चलाती हो। मेरी पत्नी का नाम आकांक्षा शर्मा है। मुझे नहीं पता कि आकांक्षा शर्मा होवी सेन्टर जो कि पीड़िता की सोसाइटी से सम्बन्धित होता था, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि आकांक्षा शर्मा के होवी सेन्टर पर 3,50,000/-रूपये के गवन का पीड़िता की सोसायटी में गवन की इन्क्वाइरी आशीष एग्वर्ट से करायी हो। मैं एकांश गुप्ता को भलीभांति जानता हूँ। एकांश गुप्ता मेरे दोस्त है। यह किस मुकदमे में जेल गया, यह मुझे नहीं मालूम। मैं एकांश गुप्ता से मिलने जेल भी गया था, मेरी कोई इंक्वाइरी नहीं हुई थी।" मैं पीड़िता के साथ कब और कहाँ बुरा काम किया था, उसकी दिनांक व समय आपको मालूम है क्या, पूछने पर साक्षी ने बताया कि "मुझे दिन, तारीख याद नहीं है। जगह भी मालूम नहीं है। कितने साल हो गये है, मुझे नहीं मालूम। पीड़िता जब ट्रेनिंग कर रही थी, तब बुरा काम किया था। मैंने फोटो देखी थी। वीडियो नहीं देखी थी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं0-15 बी/34 लगायत 15 बी/43 को देखकर गवाह ने कहा कि यह फोटो भी थी, इनके अलावा अन्य फोटो भी थी। मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी आकांक्षा व मैं कभी भी पीड़िता के कमरे पर नहीं गये थे। मुझे नहीं पता कि पीड़िता और आशीष एग्वर्ट एक कमरे में रहते थे या नहीं। मुझे नहीं पता कि आशीष, पीड़िता को कहाँ ले गया था। पीड़िता ने मुझे बताया था कि पीड़िता को आशीष कार से ले गया था, किस कम्पनी की कार से ले गया था, मुझे नहीं पता। पीड़िता ने मुझे बुरा काम करने वाली बात एफ.आई.आर. से पहले मुझे घर में बतायी थी, उसके बाद एफ.आई.आर. करायी थी। मैं एफ.आई.आर. कराते समय पीड़िता के साथ नहीं था। पीड़िता के साथ कौन था, यह मुझे नहीं पता। शगुन अग्रवाल मेरे जीजा है। गवाह को कागज सं0-15 ख/16 दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि इनमें मेरा फोटो है, इसमें मेरे जीजा का भाई भी है। मेरे जीजा भी है। मुझे नहीं मालूम कि मेरा जीजा सट्टे का कारोबार करता है। मेरा फोटो इस ग्रुप में कैसे आया, मुझे नहीं

पता। मेरे सम्बन्ध पीड़िता से ठीक है। मुझे जानकारी नहीं है कि पीड़िता के साथ 12 वर्ष की उम्र में उसके साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की थी या नहीं। यह कहना गलत है कि किशन कम्पाउण्ड में जो मकान स्थित है, वह सरकारी दस्तावेजों में पीड़िता के नाम चढ़ गया जिस कारण से मैं व मेरी पत्नी द्वारा पीड़िता को उकसाकर यह रिपोर्ट लिखायी हो। यह कहना गलत है कि मेरी माँ फर्जी प्रपत्रों पर पेंशन ले रही हो। यह कहना भी गलत है कि मेरे जीजा सट्टे की खाईबेड़ी करते हो। यह कहना गलत है कि मैं एक ऐसे गैंग के एक सदस्य से ताल्लुक रखता हूँ जो कि मुरादाबाद के चर्चित बमकाण्ड के अभियुक्तों में से एक है। जो भी मुझे मालूम है वह सब पीड़िता ने बताया है। मेरी बीबी रात में पीड़िता के साथ कभी नहीं रूकती थी। मुझे नहीं पता कि आशीष एग्वर्ट को गिरफ्तार करने के बाद बीच में छोड़ा था या नहीं। जब आशीष एग्वर्ट का चालान हुआ था तब पीड़िता आयी थी, मैं साथ नहीं आया था। मैंने आपसे (आशीष एग्वर्ट) से 30,000/-रूपये नहीं लिये थे।" पिछले दस वर्ष से जो दुष्कर्म हो रहा था, उसमें हर बार पीड़िता बताती थी कि बलात्कार हो गया है, पूछने पर बताया कि "मुझे पीड़िता नहीं बताती थी हर बार। मेरे दादाजी का नाम रामौतार है। अमित के दादा का नाम भी रामौतार है।"

16. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 4 डॉक्टर सुजाता गौतम** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "दिनांक 01.03.2023 को मैं जिला महिला चिकित्सालय मुरादाबाद में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थ थी। उसी दिनांक को अपरान्ह् 03.00 बजे पीड़िता पुत्री स्व0 राजेश मसीह उम्र लगभग 36 वर्ष का मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया जिसको महिला कं0- 2062 संगीता देवी थाना मझौला लेकर आयी थी। पीड़िता के साथ उसका भाई सनी भी आया था। पीड़िता कम्पाउण्ड थाना मझोला की रहने वाली थी। पीड़िता के गले में सीधी तरफ एक तिल पाया गया। पीड़िता अविवाहित थी। पीड़िता की माहवारी दिनांक 17.02.2023 को आयी थी। पीड़िता ने बताया कि मेरे साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है। पीड़िता पूरे होशोहवाश में थी व सामान्य कद काठी की थी। पीड़िता के लैंगिक लक्षण विकसित थे। पीड़िता के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गयी। पीड़िता के प्राईवेट पार्ट पर भी कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गयी। हाईमन पुराना फटा हुआ जुड़ा पाया गया। वैजाइनल स्मियर की स्लाईड तैयार की गयी और उसे जीवित या मृत शुक्राणुओं के परीक्षण हेतु पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा गया। पत्रावली पर कागज सं0-5/51 व 5/52 मेडिकल रिपोर्ट को देखकर कहा कि यह मेरे द्वारा तैयार है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, इस पर पीड़िता का निशानी अंगूठा लगा हुआ है जो मेरे द्वारा प्रमाणित है। मेडिकल रिपोर्ट पर **प्रदर्श क-4** डाला गया। दिनांक 13.03.2023 को पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट पीड़िता की रिपोर्ट देखकर तैयार की थी। यह रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं0-5/50 है। पैथोलॉजी रिपोर्ट सं0-122/23 दिनांक 02.03.2023 के आधार पर कोई भी जीवित या मृत शुक्राणु नहीं पाया गया। उपरोक्त रिपोर्ट व शारीरिक परीक्षण के आधार पर लैंगिक उत्पीड़न से इन्कार नहीं किया जा सकता। कागज सं0-5/49 पूरक रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक करती हूँ। इस पर **प्रदर्श क-5** डाला गया।" **अभियुक्त की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "जब किसी 10-12 साल की बच्ची के साथ शारीरिक उत्पीड़न होता है तो उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित होगी। पीड़िता को मैं पहले से नहीं जानती थी। हर मरीज की अपनी अलग मानसिक स्थिति होती है। यदि उसका शारीरिक उत्पीड़न बचपन में हुआ होगा तो वह चिड़चिड़ी या गुस्सैल भी हो सकती है। हिस्टीरिया भी हो सकती है। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पीड़िता गुस्से में नहीं थी, नॉर्मल थी।

परीक्षण के दौरान एक हफ्ते पहले तक किये गये बलात्कार की पुष्टि हो सकती है। पीड़िता ने मुझे यह नहीं बताया था कि उसके साथ आखिरी बार बलात्कार कब हुआ। हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते कि किस व्यक्ति ने महिला के साथ बलात्कार किया है। पीड़िता के शरीर पर कोई बाहय या अन्दरूनी चोट नहीं थी। मेडिकल करने के आधार पर हम इस बात की बलात्कार की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। मेडिकल प्रदर्श क–5 देखकर साक्षी ने कहा कि इस बलात्कार के बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं दी जा सकती।"

17. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 5 महिला कां0 168 मोनिका यादव** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "दिनांक 28.02.2023 को मैं थाना मझोला में महिला कां0 के पद पर तैनात थी। उक्त दिनांक को समय 18.58 बजे पीड़िता पुत्र स्व 0 राजेश मसीह की हस्तलिखित तहरीर जो डाकपैड से प्राप्त हुई थी जिस पर एस.एच.ओ. महोदय के आदेश अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु अंकित था, मेरे द्वारा तहरीर के आधार पर शब्द व शब्द बोलकर थाना हाजा पर मु0 अ 0 सं0-140/2023, अन्तर्गत धारा-376,328,504,507 आई 0 पी0 सी0 व धारा-67 ए आई 0 टी0 एक्ट बनाम आशीष एग्वर्ट निवासी लाईनपार के विरूद्ध थाना हाजा पर कां0-3432 रंजीत सिंह को बोल-बोलकर सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर पर दर्ज कराया गया। एफ 0 आई 0 आर 0 पत्रावली में पेपर सं0-5/2 ता 5/4 के रूप में संलग्न है, तस्दीक करती हूँ। इस पर **प्रदर्श क-6** डाला गया। तहरीर व कायमी का खुलासा जी0 डी0 नं0-68 समय 18.58 बजे दिनांकित 28.02.2023 पर किया गया। जी0 डी0 की प्रति पत्रावली में पेपर सं0-5/5 के रूप में संलग्न है, तस्दीक करती हूँ। इस पर **प्रदर्श क-7** डाला गया। इस संबंध में विवेचक ने मेरा बयान अंकित किया था।" **अभियुक्त की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा लगाई जाती है। तहरीर मुझे डाक पैड से प्राप्त हुई थी। उस वक्त पीड़िता नहीं थी। मुझे ध्यान नहीं है कि पीड़िता को एफ.आई.आर. की प्रति भिजवाई थी या नहीं। पुलिस के द्वारा गलत काम का अर्थ बलात्कार करना है। मुझे प्रार्थना पत्र के साथ कोई वीडियो ग्राफी नहीं मिली थी। प्रार्थना पत्र के आधार पर ही सारी धाराएँ लगायी जाती है। मैंने किसी अधिकारी के दबाव में धाराओं का खुलासा नहीं किया था। पीड़िता की तहरीर के आधार पर ही धाराएँ खोली गई थी। मुझे पुलिस की 112 की शिकायत की जानकारी नहीं है। मेरे कर्तव्य में यह आता है कि मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर तहरीर बोल बोलकर लिखाना है। दिनांक 28.02.2023 को कार्यालय में समय 10 बजे से शाम के 9 बजे तक की थी। मुझे दिनांक 27.02.2023 के बारे में याद नहीं है कि मेरी ड्यूटी कब से कब तक थी। थाने में लगे कैमरे काम करते है। यह जानकारी नहीं है दिनांक 28.02.2023 को सुबह 10 बजे से सायं के 6 बजे पीड़िता रिपोर्ट लिखाने आयी थी या नहीं। यह कहना गलत है कि एफ.आई.आर. एन्टी टाईम हो।"

18. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 6 निरीक्षक जयदेव सिंह (विवेचक)** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "थाना मझोला में इंस्पेक्टर क्राईम के पद पर तैनाती के दौरान मुझे उपरोक्त मुकदमे की विवेचना प्राप्त हुई। मेरे द्वारा दिनांक 28.02.2023 को सी0 डी0 प्रथम किता की गयी जिसमें नकल चिक, नकल तहरीर, नकल रपट, बयान एफ 0 आई 0 आर 0 लेखिका तथा उक्त दिनांक को ही बयान पीड़िता जिसको महिला उपनिरीक्षक मीनू द्वारा लेखबद्ध किया गया था, का अवलोकन मेरे द्वारा किया गया तथा वादिनी के द्वारा हाईस्कूल की मार्कशीट की प्रति व आधार कार्ड की छायाप्रति एवं फेसबुक आदि से वायरल हुए फोटो एवं मोबाईल फोन की आई 0 डी0 लिखकर दी गई जिसका अवलोकन मेरे द्वारा सी0 डी0 में किया गया तथा उक्त दिनांक को ही वादिनी व वादिनी के पारिवारीजन के साथ मैं महिला कां0 के तथा उपनिरीक्षक महिला घटनास्थल पर गया तथा वादिनी

की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल किया तथा मौके पर ही नक्शा नजरी तैयार किया जो पत्रावली में पेपर सं0-5/53 के रूप में मेरे लेख व हस्ताक्षर में संलग्न है, तस्दीक करता हूँ, इस पर **प्रदर्श क-8** डाला गया। निरीक्षण घटनास्थल करते समय मकान मालिक पुत्र वेदराम का बयान भी मेरे द्वारा अंकित किया गया। दिनांक 01.03.2023 को महिला कां0 संगीता के साथ मेडिकल कराने हेतु जिला अस्पताल मुरादाबाद भेजा गया तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त को समय 14.30 बजे गिरफ्तार कर दाखिला जी0 डी0 नं0-63 समय 15.08 बजे थाना मझोला पर किया गया। उक्त दिनांक को ही मेरे द्वारा अभियुक्त का बयान अंकित किया गया तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त का रिमाण्ड माननीय न्यायालय से स्वीकृत कराया। दिनांक 01.03.2023 को ही सी0 डी0 3 में पीड़िता के धारा-164 सीआर.पी.सी. के बयानों का अवलोकन किया गया। दिनांक 03.03.2023 को सी0 डी0-4 किता की गयी। नामित अभियुक्त आशीष एग्वर्ट के बेटे निमित से अभियुक्त का एक मोबाईल गेलेक्सी ए-205 मॉडल नं0-SMA-20 रंग ब्लू कब्जे में लिया गया जिसके संबंध में फर्द मौके पर मेरे द्वारा बनायी गयी। इस संबंध में फर्द बरामदगी में पेपर सं0-5/48 पत्रावली में संलग्न है, तस्दीक करता हूँ, इस पर **प्रदर्श क-9** डाला गया जिसका खुलासा जी0 डी0 नं0-108 समय 19.10 बजे दिनांकित 3.03.2023 पर किया गया। जी0 डी0 की नकल मेरे द्वारा सी0 डी0 में की गयी। दिनांक 04.03.2023 को पर्चा नं0-5 किता किया गया उसमें साईबर सैल को प्रार्थना पत्र के संबंध में कि किसके द्वारा फोटो वायरल किये गये है, जानकारी के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। जो पत्रावली में पेपर सं0-5/16 के रूप में संलग्न है, तस्दीक करता हूँ, इस पर **प्रदर्श क-10** डाला गया। दिनांक 14.03.2023 को सी0 डी0-6 किता की गयी जिसमें पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट, पैथोलॉजी रिपोर्ट व पूरक रिपोर्ट का अवलोकन अंकित किया। दिनांक 15.03.2023 को सी0 डी0-7 किता की गयी जिसमें पीड़िता के मेडिकल मुआयना करने वाली डॉ0 सुजाता गौतम एवं पीड़िता के 161 सीआर.पी.सी. के बयान अंकित करने वाली उपनिरीक्षक मीनू चौधरी तथा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने ले जाने वाली महिला कां0 संगीता का बयान अंकित किया। दिनांक 16.03.2023 को सी0 डी0 8 किता की गयी। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से लिये गये मोबाईल के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसकी नकल सी0 डी0 में किता की गयी तथा मोबाईल को एक एम 0 एल 0 में दाखिल करने वाले हेड कां0 संजीव शर्मा का बयान अंकित किया तथा एच 0 एम 0 सुखपाल जिसको मोबाईल फोन की रिपोर्ट लाकर संजीव शर्मा द्वारा दी गई थी, का बयान अंकित किया था। रिपोर्ट रसीद पत्रावली में पेपर सं0-5/12 के रूप में संलग्न है। दिनांक 19.03.2023 को सी0 डी0-9 किता की गयी। उक्त दिनांक को वादिनी की माँ कमलेश व भाई सनी मैसी का बयान अंकित किया। दिनांक 28.03.2023 को सी0 डी0 10 किता की गयी उसमें साईबर सैल फोटो वायरल किये गये है या नहीं के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने गया था, नहीं मिली। दिनांक 05.04.2023 को अभियुक्त की पत्नी सीमा एग्वर्ट का बयान अंकित किया। दिनांक 06.04.2023 को वादिनी के ममेरे भाई विनय का बयान अंकित किया तथा निखिल एवं रूपेन्द्र का बयान भी अंकित किया जिन्होंने अवगत कराया था कि उन लोगों के द्वारा भी वायरल फोटो फेसबुक पर अपने-अपने फोन पर देखे गये जो अभियुक्त के द्वारा फेसबुक पर वायरल किये गये थे। दिनांक 06.04.2023 को ही साईबर सैल की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अभियुक्त की कैफ आईडी प्राप्त हुई, का अवलोकन सी0 डी0 में किया तथा कैफ आई 0 डी0 का भी अवलोकन सी0 डी0 में किया गया तथा उक्त दिनांक को ही संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त आशीष एग्वर्ट के विरूद्ध धारा-376,328,504,507 आई 0 पी0 सी0 में व 67 आई 0 टी0 एक्ट में आरोप पत्र सं0-236/2023 न्यायालय में प्रेषित किया। आरोप पत्र पत्रावली में पेपर सं0-3/1 ता 3/4 के रूप में संलग्न है। इसपर मेरे

हस्ताक्षर है, तस्दीक करता हूँ, इस पर **प्रदर्श क-11** डाला गया। माननीय न्यायालय की अनुमति से अभियुक्त के बेटे के कब्जे से अभियुक्त का लिया मोबाईल सीलबन्द बंडल में जिसपर मुकदमे की इबारत लिखी है, पुलिन्दे पर **वस्तु प्रदर्श-1** डाला गया। खोलने पर उसके में ब्लू कलर का एक मोबाईल जिसपर कवर चढ़ा हुआ है, मोबाईल पर **वस्तु प्रदर्श-2** तथा कवर पर **वस्तु प्रदर्श-3** डाला गया।" **अभियुक्त की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** मेरी फेसबुक पर जो फोटो अपलोड की गई थी वह उसी फोन से डाली गई थी, वह उसी फोन से डाली गई थी जो आपने रिकवर हुआ है, कैसे कह सकते हो, प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि "अभियुक्त के मोबाईल नम्बर के बारे में जानकारी करने के लिए साईबर सैल को रिपोर्ट भेजी गई। साईबर सैल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर (फैक आई.डी.) के आधार पर ज्ञात हुआ कि फेसबुक पर अभियुक्त के कौन से फोटो अपलोड किये गये थे जो पीड़िता ने उपलब्ध कराये थे जिसके बारे में विनय पुत्र दिनेश कुमार निवासी नसीराबाद मिलक थाना मिलक जनपद रामपुर, निखिल पुत्र ज्ञान सिंह निवासी मिशन कम्पाउण्ड व अन्य गवाहों ने अपने फोन पर देखा था।" उपरोक्त के समर्थन में कोई रिपोर्ट पत्रावली पर है, के उत्तर में साक्षी ने बताया कि "पत्रावली में संलग्न है", पत्रावली के कौन से पृष्ठ क्रमांक पर वह रिपोर्ट है के उत्तर में बताया कि "पत्रावली में पेपर सं0-5/15 के रूप में संलग्न है जिसमें नं0-1 रिपोर्ट व अन्य 10 वर्क फेजबुक रिपोर्ट-3 वर्क आई.पी.डी.आर 1 वर्क तथा कैफ एक वर्क संलग्न है।" पत्रावली पर प्रस्तुत पृष्ठ सं0-5/15 जिसमें कि यह दर्शाया गया है कि एक फेसबुक आई.डी. जो कि मोबाईल सं0 7906068025 से संचालित किया जा रहा है, के आधार पर ही क्या यह निष्कर्ष है कि वो मोबाईल रिकवर किया गया है, उसी से फोटो अपलोड किये गये हैं के उत्तर में साक्षी ने बताया कि "साईबर सैल की रिपोर्ट के आधार पर ही ज्ञात हुआ है कि फोटो अभियुक्त के मोबाईल से अपलोड किये गये हैं।" पत्रावली पर पृष्ठ सं0-5/26 जो कि मैटा प्लेटफार्म बिजनेस रिकॅार्ड में जो ओफेन्टीकेशन नम्बर 8077854814 प्रदर्शित हो रहा है, के उत्तर में बताया कि "उसके विषय में जानकारी नहीं है।" वादिनी का मोबाईल नम्बर क्या है, के उत्तर में साक्षी ने वादिनी की तहरीर पर देखकर बताया कि "वादिनी का मोबाईल नम्बर 9760607208 व दूसरा नं0-8077854814 है।" आप द्वारा मोबाईल नम्बर मैटा प्लेटफार्म रिकॅार्ड वाला किस आधार पर मिलान किया था क्योंकि आपने पिछले प्रश्न में कहा है कि आपको जानकारी नहीं कि 8077854814 किसका नम्बर है, के उत्तर में बताया कि "मेरे द्वारा साईबर सैल को भेजी गई रिपोर्ट से प्राप्त मैटा की रिपोर्ट के आधार पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त के मोबाईल नम्बर से फोटो अपलोड किए गए थे। पीड़िता का नम्बर काफी समय हो जाने के बाद याद नहीं रहा।" आप बार बार फोन नम्बर के द्वारा मोबाईल अपलोड करने की बात कर रहे हैं जबकि प्रश्न यह है कि पत्रावली पर कौन सी ऐसी रिपोर्ट उपलब्ध है जिससे यह सिद्ध होता है कि जो मोबाईल फोन रिकवर किया गया है, उस मोबाईल फओन के द्वारा ही फोटो अपलोड किये गये है, के उत्तर में बताया कि "मेरे द्वारा साईबर सैल की रिपोर्ट के आधार पर 67 ए आई.टी.एक्ट की धारा को रखा है। इसके बारे में किस फोन द्वारा अपराध कारित किया गया है। अन्य जानकारी एक्सपर्ट दे सकता है।" आपने 67 ए आई.टी.एक्ट की बात कही है, यह पुलिस कब लगाती है, के उत्तर में बताया कि "कागज सं0-5/17, 5/18, 5/20 जो पीड़िता के द्वारा दिए गए थे जो 67 ए आई.टी.एक्ट के श्रेणी में जाते हैं।" कागज सं0-5/20 पर जो प्रदर्शित चित्र है, वह जो मोबाईल रिकवर हुआ था, उसके है या नहीं, के उत्तर में बताया कि "मुझे याद नहीं, पीड़िता द्वारा प्राप्त कराया गया था।" आपने यह जानकारी करी थी कि जो फोटो वह दे रही है, वह रिकवर मोबाईल में उपलब्ध है या नहीं, के उत्तर में बताया कि "पीड़िता के द्वारा फोटो उपलब्ध कराये गये थे, मैंने जानकारी नहीं करी

थी।" मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कौन सा बिन्दु है जिससे यह साबित होता है कि गिरफ्तार मुल्जिम द्वारा ही पीड़िता का बलात्कार किया है, के उत्तर में बताया कि "पीड़िता के द्वारा एफ.आई.आर. व 161 सीआर.पी.सी. के बयानों में बलात्कार होने की पुष्टि की गई है। इसके सम्बन्ध में अन्य पर्याप्त साक्ष्य भी केस डायरी में उपलब्ध है।" इस तहरीर में कहाँ लिखा हुआ है कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है, के उत्तर में बताया कि "एफ.आई.आर. में पीड़िता के द्वारा बताया गया है कि नशीला पदार्थ खिलाकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया है और वीडियो और फोटो भी मोबाईल में बना लिए गए हैं जिनको वायरल करने की धमकी देकर अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ लगातार बलात्कार किया गया। इस मामले की विवेचना एफ.आई.आर. लिखने के बाद मिल गयी थी, समय याद नहीं है। घटनास्थल वह बताया है जहाँ लगातार बलात्कार करने की बात कही है। फोन की आई.डी. आपके नम्बर की थी जिसका मैंने विवेचना में जिक्र किया था। मार्कशीट हाईस्कूल की थी उसका सत्यापन मार्कशीट देखकर किया था, 36 वर्ष की बतायी थी। घटनास्थल मैंने वादी की निशानदेही पर निरीक्षण किया था, मैं घटनास्थल का निरीक्षण करने विवेचना के क्रम में गया था। मुझे निरीक्षण के समय घर मिला व घर में सामान था। बलात्कार से सम्बन्धित कोई चीज जैसे चादर आदि नहीं मिली। घटनास्थल का ताला पीड़िता ने खोला था यानि चाबी पीड़िता के पास थी। मकान मालिक के बेटे का नाम मुझे याद नहीं है। गिरफ्तारी मैंने अभियुक्त की स्वयं की थी। गिरफ्तारीस्थल थाने से 500 मीटर दूर है। हमने गिरफ्तारी एक बार की है इसलिए मैं नहीं बता सकता कि दो बार गिरफ्तारी कैसे की जाती है। मुझे यह जानकारी नहीं कि पुलिस दिनांक-27.02.2023 को रात्रि ढाई बजे गिरफ्तार किया जा चुका था। मुझे यह भी जानकारी नहीं कि दिनांक 28.02.2023 को मेरे द्वारा गिरफ्तारी से पूर्व मुल्जिम को छोड़ दिया गया था। एक व्यक्ति को एक मुकदमे में दो बार गिरफ्तार नहीं किया जाता। मुझे पीड़िता द्वारा 112 नम्बर पर शिकायत करने वाली बात की जानकारी नहीं है, हो सकता है अभियुक्त व पीड़िता फैसला करते रहे हों। डायल 112 नम्बर से कोई गिरफ्तारी होती है तो उसकी एन्ट्री होती है। गिरफ्तारीस्थल से थाने तक मुझे पहुँचने व पूछताछ करने में 38 मिनट का समय लगा था। गिरफ्तारीस्थल सीसीटीवी सर्वीलाइन्स पर है। यह कहना गलत है कि जिस दिन की गिरफ्तारी मैं दिखा रहा हूँ, उस समय मैं श्वेताव तिवारी मर्डर केस की प्रेस कांफ्रेस में सिविल लाईन में था। यह कहना भी गलत है कि मैंने पॉलीटिकल प्रभाव में अभियुक्त को गिरफ्तार किया हो। यह कहना गलत है कि पीड़िता पर दबाव बनाकर मुकदमे में delay किया गया हो। मैंने अभियुक्त का बयान थाने पर लिया था। अभियुक्त द्वारा अपने पिता का नाम बताया गया था। मैंने अभियुक्त के बताने पर व उनकी पत्नी के बताने पर सही मान लिया था। मुझे यह याद नहीं है कि अभियुक्त ने मुझे यह बताया था कि पीड़िता अभियुक्त के साथ 13 वर्ष से रह रही है।" पीड़िता के 164 सीआर.पी.सी. के बयान में खास बात पूछने पर बताया कि "यही खास बात थी कि बलात्कार किया गया है।" अभियुक्त की ओर से पूछा गया कि 164 सीआर.पी.सी. के बयान में 112 डायल के बारे में बताना खास बात नहीं लगी, साक्षी द्वारा बयान 164 सीआर.पी.सी. देखकर कहा कि "कहा तो था 112 के बारे में परन्तु मैंने इसके बारे में जानकारी नहीं की थी। मैंने मोबाईल की बरामदगी दिनांक 03.03.2023 को की थी दिनांक 28.02.2023 को नहीं की थी। यह कहना गलत है कि मैं किसी ब्यूरोक्रेट के फोटो व कुछ पत्राचार के फोटो व खास वीडियो की तलाश में था और जब वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो मैंने चिढ़कर यह चार्जशीट लगाई हो। साईबर सैल की रिपोर्ट विवेचना के लिए पर्याप्त होती है।" बलात्कार की पुष्टि पैथोलॉजी रिपोर्ट में हुई थी या नहीं, पूछने पर बताया गया कि "शुक्राणु नहीं पाये गये थे। धारा-53 ए सीआर.पी.सी. का अनुपालन मैंने इस मामले में नहीं किया था। दिनांक 03.03.2023 को मोबाईल कब्जे में लिया था।

एफ.एस.एल. किस तारीख को भेजा था, यह याद नहीं है। सीमा अल्बर्ट को मैं पहचानता हूँ, यह कोर्ट में खड़ी है। इसके बयान लेने मैं इनके घर गया था, यह स्वयं भी थाने आई थी बेटे के साथ। आज पक्की तरह याद नहीं है कि बयान कहाँ लिये थे। तहरीर में 2018 के मुकदमे का जिक्र किया था उसके बारे में मैंने कोई जानकारी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं इस मामले की विवेचना कर रहा था। यह कहना गलत है कि क्योंकि वह मुकदमा 498 ए आई.पी.सी. पंजीकृत हुआ था और उसमें मुल्जिम व पीड़िता के दीर्घकालीन सम्बन्ध उजागर हो रहे थे, 376 आई.पी.सी. नासाबित हो सकती थी इसलिए मैंने इस मुकदमे में उसको शामिल नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने पीड़िता के परिजनों के बयान न लिये हो और पीड़िता के बयान के आधार पर ही फर्जी चार्जशीट लगा दी हो। मैं सनी आर मैसी को जानता हूँ, वो पीड़िता के भाई है। मुझे सनी आर मैसी ने यह नहीं बताया था कि दिनांक 27.02.2023 को मुल्जिम को गिरफ्तार करा चुका है। मुझे यह भी नहीं बताया था कि उस समय सनी आर मैसी की पत्नी व पीड़िता स्वयं मौके पर मौजूद थी। मुझे रिकॉर्ड कीपर ने यह नहीं बताया था कि जिस मुल्जिम को मुखबिर की सूचना पर मैं पकड़ कर लाया हूँ वह डायल 112 वालों ने दिनांक 28.02.2023 को प्रातः ढाई बजे फोन कॉल रिपोर्ट पर थाने पर दाखिल किया था। मेरा थाना सीसीटीवी के सर्विलांस में है सारे कैमरे ठीक से काम कर रहे हैं। मैं कह नहीं सकता कि वो सीसीटीवी फुटेज न्यायालय द्वारा मांगे जाये तो दिए जा सकते हैं या नहीं। मैं नहीं कह सकता कि दो ढ़ाई साल पुराने फुटेज मिल जायेंगे या नहीं। तहरीर में ऐसा कोई शब्द समूह नहीं था जिससे धमकी अभियुक्त द्वारा दिया जाना साबित हो, पीड़िता ने बताया था कि धमकी दी गई है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट 23 ए/6 को दिखाकर पूछा कि क्या इसके अलावा भी विशेषज्ञ रिपोर्ट चाहिए होती है, यह पर्याप्त होती है। फोन की बरामदगी के समय फोन में सिम व चिप का तस्करा, वर्णित नहीं किया था। फोन नम्बर व IMEI लिखा था।" घटना में प्रयुक्त वाहन व वीडियो फुटेज के बारे में पूछने पर बताया कि "हमने वर्ष 2013 की घटना वाहन की रही होगी। हमने घर में बलात्कार की घटना के बारे में विवेचना की है इसलिए वाहन व वीडियो फुटेज के बारे में नहीं बता सकता। धारा-328 आई0 पी0 सी0 के बारे में पूछने पर बताया कि पीड़िता के बयानों के आधार पर इस धारा में आरोप पत्र लगाया है। पीड़िता के बयान के अलावा अन्य साक्ष्य इस बारे में नहीं मिला था। मैं कमलेश को जानता हूँ, वह पीड़िता की माँ है, मैंने पीड़िता व कमलेश के बयानों के आधार पर यह माना था कि वो कमलेश, पीड़िता की माँ है। कागज सं0-15 बी/11 ता 15 बी/43 मुझे पीड़िता ने दिये थे, यह वाट्सएप चैट की प्रति पत्रावली पर दाखिल है। काफी चैट थी वो मैंने सारी पढ़ी नहीं थी। 15 बी/11 को पढ़कर पूछा गया तो बताया कि मैंने यह नहीं पढ़ा था। का0 सं0-7/14 ता 7/15 दिखाकर साक्षी से पूछा गया तो बताया कि यह प्रपत्र तो न्यायालय में दिया गया है। मुझे भी कमलेश द्वारा यही आई.डी. दी गई थी, आधारकार्ड दिया गया था। उसपर कमलेश पुत्र कल्लू लिखा है पत्नी राजेश मसीह लिखा है खुद कहा बेटी/पत्नी दोनों के नाम से आई.डी. बन सकती है। यह कहना गलत है कि मैंने नगरनिगम में कार्यकार कमलेश को जो कि कमलेश पत्नी श्यामसुन्दर थी उसे कमलेश पत्नी राजेश मसीह बनाकर प्रस्तुत किया हो। अगर कोई अपराध घटित होता है ति प्रोटोकॉल के अनुसार हम बताते है यदि बताने लायक होता है। का0 सं0-15 बी/19 आदि वाट्सचैट में संलग्न फोटो को दिखाकर पूछा गया तो बताया कि मैं इन्हें नहीं जानता। यह कहना गलत है कि मैंने इसी फोटो 15 बी/19 को प्राप्त करे के लिए एक हवाला कारोबार की वीडियो गायब करने के लिए और एक फर्जी नियुक्ति का दस्तावेज प्राप्त करने के लिए इस मुकदमे में Delay किया।

समीक्षा एवं निष्कर्ष

19. इस मामले में पीड़िता द्वारा अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने वादिया के नशे में वीडियो और फोटो अपने मोबाइल में बना लिये थे जिनको दिखाकार प्रार्थिनी को ब्लैकमेल कर गलत काम करता था। अभियुक्त से अपना पीछा छुड़ाने के लिए दूसरे शहर में जाकर नौकरी कर ली, जिससे बौखलाकर आशीष ने प्रार्थिनी के Facebook अकाउंट और Google Account को हैक कर प्रार्थिनी के फोटो अपलोड कर सारे रिश्तेदारों में भेजने शुरू कर दिये और फोन कर धमकियाँ देने लगा कि अगर तू अभी वापस नहीं आई तो तुझे व तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा और तेरी अश्लील वीडियो व फोटो सब में वायरल कर दूँगा जिससे प्रार्थिनी बहुत ही परेशान हो गयी और ऐसा न करने को कहा तो आशीष ने गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ फोन पर देते हुए जान से मारने की धमकी दी जिससे परेशान होकर प्रार्थिनी ने 112 नम्बर पुलिस को फोन कर सूचना दी।

20. इस कथानक को साबित करने के लिए वादिनी पीड़िता पी0 डब्लू0-1 के रूप में परीक्षित हुई और उसने मुख्य परीक्षा में बताया कि *"आशीष का प्रार्थिनी के घर काफी समय से आना जाना है। मुझसे आशीष ने कहा था कि एक क्लाईंट का मेडिकल कराना है, मेरे साथ चलो इसलिए मुझे कार से लेकर गये। कार में एक वीडियो दिखायी जिसमें मैं व आशीष एग्वर्ट आपत्तिजनक स्थिति में थे जिसमें वह मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। मैंने पूछा कि मेरी यह वीडियो कब बना ली तो आशीष एग्वर्ट ने कहा कि उसने नशीला पदार्थ पिला दिया था और उसके पश्चात् बनायी थी। फिर आशीष एग्वर्ट ने मुझसे कहा कि तूने मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाये तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूँगा। इसके बाद फिर मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। फिर मैं आशीष एग्वर्ट से परेशान होकर दिल्ली जॉब करने चली गयी थी लेकिन आशीष एग्वर्ट ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ पर मेरे घर पर आ जाता था। मेरे साथ वहाँ पर मेरे घरवालों के साथ गाली गलौच करता था। आशीष एग्वर्ट ने मेरा फेसबुक व गूगल अकाउण्ट हैक कर लिया था जिसपर मेरे अश्लील (गन्दे फोटो) वायरल कर दिये थे जिस पर मेरे रिश्तेदारों के फोन मेरे पास आये थे, कह रहे थे कि तुमने यह कैसे फोटो अपलोड कर दिये हैं। मैंने आशीष एग्वर्ट से कहा था कि तुमने मेरे फोटो क्यूँ अपलोड कर दिये हैं तो कहा था कि अभी तो पूरी रात पड़ी है, मैं और अपलोड करूँगा। मैं वकील हूँ, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। तब मैंने 112 नम्बर पर कॉल की थी।"* अभियुक्त द्वारा स्वयं की गई जिरह में वादिनी ने बताया कि *"अभियुक्त ने कहा था कि उसे मुझसे शादी करनी है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गयी थी तो मैं पार्क हॉस्पिटल गयी थी जो कौशाम्बी में है फिर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि आप मुझे लेने आ गये थे। मुझे फिर परेशान किया गया तो मैं वीमेन्स हॉस्पिटल दिल्ली चली गयी थी।"* आगे जिरह में कहा कि *"आपने मुझसे सात साल का समय मांगा था चूँकि मैंने तेरे साथ गलत किया है और मैं तेरी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ और मैंने आपको सात साल का समय दिया था।"* शादी के वचन के बारे में कहा कि *"शादी के लिए बोला था और कहा था कि पत्नी से परमिशन लेनी है। विवाह प्रस्ताव से पहले मेरी पहली शर्त यह थी कि मेरी फैमिली व आपकी फैमिली राजी हो। दूसरी शर्त यह थी कि आपने जो मेरे साथ किया है, वह मेरी मम्मी के सामने कन्फैस करोगे। दोनों शर्तों में से आपने मेरी मम्मी के सामने जाकर सारी बाते स्वीकार की थी तथा कहा था कि हाँ मैंने इसके साथ गलत किया है इसलिए मैं इसकी जिम्मादारी उठाना चाहता हूँ लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया था। मेरी मम्मी ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने 112 नम्बर पर फोन किया था इन्होंने मेरी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, मेरा फोन हैक करके इसलिए मैं थाने गयी थी। इन्होंने मुझसे कहा था कि अभी तो मैंने तेरी एक फोटो अपलोड की*

है और डेढ़ सौ फोटो भी अपलोड करूँगा। फोन कॉल मैंने की थी। चूँकि मैंने आपको (इस नम्बर) ब्लॉक कर रखा था जब इन्होंने मेरी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो मैंने कॉल की थी। मैंने उस दिन कई सारी कॉल की थी। मैंने Request करने के लिए फोन किया था, कृपया मेरी फोटो अपलोड न करें। मैंने यह भी कहा था कि अगर तुमने मेरे फोटो अपलोड करने बंद नहीं किये तो मैं आपकी शिकायत कर दूँगी। यह कहना सही है कि मैंने जो तहरीर में यह लिखा है कि अगर तू अभी वापस नहीं आयी तो मैं तुझे व तेरे परिवार को बर्बाद कर दूँगा, और तेरी अश्लील वीडियो व फोटो सब में वायरल कर दूँगा, यह बात मैंने ही लिखी है किसी के कहने पर यह बात नहीं लिखी थी। आप शातिर, हेकड़, दबंग, कमीने किस्म के व्यक्ति हो। यह मुझे तब पता चला जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, कमीनापन सन् 2013 से पता चला जब मैं नर्सिंग इण्टरशिप कर रही थी। आपके साथ आना-जाना मैंने तब शुरू किया जब आपने मेरी जिम्मेदारी को उठाना मंजूर किया था।" बलात्कार के बारे में साक्षी द्वारा बताया गया कि *"आप मुझे कार में अपने साथ ले गये थे, उस कार में आपने मुझे एक वीडियो दिखायी थी। सन् 2013 में वीडियो दिखायी थी, तब मेरे साथ बलात्कार किया था। यह बात सही है कि मुझे नशीला पदार्थ खिलाया गया था। आपने मेरे साथ गलत काम किया था। मुझे होश नहीं था, मैं बेहोश थी। जब वीडियो दिखाया था तो उसमें मैंने देखा कि मैं होश में नहीं हूँ, नशे में हूँ। वीडियो में आप दिखायी दे रहे थे, फेस दिखायी नहीं दे रहा था। मेरा सिर्फ फेस दिखायी दे रहा था। Sexual Activity नहीं थी, यह वीडियो कहाँ बना था, मुझे नहीं पता। मैंने तहरीर सोच समझकर लिखी थी और मुझे बहुत तेज गुस्सा भी था, कुछ चीजे मैंने बढ़ा-चढ़ाकर भी लिखी थी। तहरीर में लिखा था कि आशीष हमारे घर पर आता जाता था। मुझे नशीला पदार्थ मेरे घर नहीं खिलाया था। मुझे ध्यान नहीं है कि मुझे नशीला पदार्थ कब खिलाया था। मैं नहीं बता सकती कि मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध कब बनाये थे। जब मेरे साथ यह सारी चीजे हो रही थी, तब मैं आशीष के साथ नहीं रह रही थी। जब मैं महेन्द्र के यहाँ किराये पर रहती थी तब कुछ समय के लिए आशीष मेरे साथ रहा था। मैं उस समय आशीष के साथ पत्नी के रूप में नहीं रह रही थी। मैं और आशीष महेन्द्र के यहाँ न तो लिविंग रिलेशन में रहते थे और न पति पत्नी के रूप में रहते थे। परिस्थितिजनक रहते थे। अस्पताल मुझे आशीष एग्वर्ट लेकर गये थे। एडमिट कराके पैसा जमा करके अस्पताल से चले गये थे। मैं तीन या चार दिन धान्या अस्पताल में भर्ती रही थी। इस बीच आशीष मुझसे मिलने आते थे। मुझे पता है कि दवाईयों व ब्लड का इंतजाम आशीष ने ही किया था। मैं आशीष के साथ तीन होटलों में घूमने गयी हूँ। एक होटल में हम दोनों ठहरे थे। होटल में आई0 डी0 दी थी या नहीं, मुझे याद नहीं है।"*

मुख्य रूप से पीड़िता द्वारा अभियुक्त पर ब्लैकमेल करके जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाकर बलात्कार करने व पीड़िता के साथ गाली गलौच करने व उसके फोटो वीडियो वायरल करने की धमक का आरोप अपनी साक्ष्य में भी लगाया है परन्तु सम्पूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से यह तथ्य विदित होता है कि अभियुक्त का पीड़िता के घर आना जाना पूर्व से चला आ रहा था और इसी सम्बन्ध के तहत दोनों में आपसी सम्बन्ध विकसित हो गये थे। इसी आपसी सम्बन्धों के तहत पीड़िता अभियुक्त के साथ किराये पर कमरा लेकर रही थी और अभियुक्त ने पीड़िता से विवाह करने के लिए 7 वर्ष का समय चाहा था जो कि पीड़िता द्वारा अभियुक्त को दिया गया था। इस विवाह के सम्बन्ध में पीड़िता ने अपनी साक्ष्य में यह भी बताया कि *"हम दोनों के समक्ष यह शर्त थी कि मेरी फैमिली व अभियुक्त की फैमिली शादी के लिए राजी हो। अभियुक्त को अपने परिवार से शादी के लिए परमिशन लेनी थी। इसी के तहत अभियुक्त आशीष ने मम्मी के सामने सारी बाते स्वीकार की कि इनकी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ लेकिन मम्मी ने मना कर दिया था, उसके बाद अभियुक्त ने फोटो अप्लोड कर दिये।"*

पीड़िता ने अपनी जिरह में बताया कि *"मैं आशीष के साथ 3 होटलों में घूमने गयी हूँ, एक होटल में हम एक साथ ठहरे थे। महेन्द्र के यहाँ जब मैं कमरे पर रहती थी तो आशीष भी साथ में रहता था।"* साथ में आना जाना पीड़िता ने तब स्वीकार किया जब अभियुक्त ने कहा कि वह जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। यह सब परिस्थितियाँ पीड़िता का अभियुक्त के साथ सहमति से सम्बन्ध को दर्शाती है। पीड़िता ने यह भी बताया कि *"अस्पताल में भर्ती होने पर आशीष ही अस्पताल लेकर गये थे और इस बीच आशीष मिलने आते जाते थे। दवाई व ब्लड का इन्तजाम भी आशीष ने ही किया था।"* इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पीड़िता अभियुक्त के साथ सहमति से सम्बन्धों में थी जिसकी कि वजह पीड़िता द्वारा यह बतायी गयी है कि अभियुक्त ने मेरी जिम्मेदारी उठाने का वचन दिया था। अभियुक्त पूर्व से विवाहित था, इस तथ्य का ज्ञान भी पीड़िता को पूर्व से था क्योंकि पीड़िता द्वारा यह अपने बयान में स्वयं बताया गया कि *"इनको अपनी पत्नी से विवाह की परमिशन लेनी थी"*, ऐसी स्थिति में धारा-376 भा0 दं0 सं0 का अपराध साबित नहीं होता परन्तु पीड़िता ने यह भी बताया कि *"मेरी फोटो व वीडियो इन्होंने मेरा फोन हैक करके अपलोड कर दी थी।"* इस सम्बन्ध में पी0 डब्लू0-2 व पी0 डब्लू0-3 ने भी बताया। केस डायरी में वह फोटो कागज सं0-5/12 व 5/13 पत्रावली में संलग्न है जिनको कि अभियुक्त द्वारा अपलोड किया जाना विवेचक ने अपने बयान में बताया है। पत्रावली पर कागज सं0-5/26 के अवलोकन से विदित है कि वादिया का फेसबुक खाता उसके मोबाइल नं0-8077854814 से चल रहा था जिसे बार-बार हैक करने का प्रयास किया गया, ऐसा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र कागज सं0-5/21 ता 5/24 से विदित होता है और कागज सं0-5/19 से हैक कर मैसेज किया जाना स्पष्ट है, इसके अतिरिक्त केस डायरी में उपलब्ध कागज सं0-5/15 साइबर क्राइम सैल प्रभारी की आख्या है जिसके अनुसार 7906068025 मोबाइल फोन जिसे कि अभियुक्त के घर से बरामद किया गया है, में वर्णित है कि फेसबुक आई 0 डी0 की जानकारी की गयी तो फेसबुक प्रोफाइल पीड़िता राजेश को मोबाइल नं0- 7906068025 से संचालित किया गया था। यही आरोप पीड़िता ने अभियुक्त पर लगाया है कि *"अभियुक्त ने मेरा फोन हैक करके मेरी वीडियो व फोटो अपलोड किये"* जो कि केस डायरी में उपलब्ध है। जहाँ तक अभियुक्त की ओर से दिये गये तर्क कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट में अभियुक्त के मोबाइल में कुछ भी नहीं पाया गया है, का सम्बन्ध है परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं0-23 ए/6 के रूप में संलग्न है उक्त रिपोर्ट में यह वर्णित है कि मोबाइल फोन प्रदर्श Q-1 और मैमोरी प्रदर्श M-1 से डाटा रिकवर नहीं किया जा सका, इससे यह यह नहीं कहा जा सकता कि डाटा रिकवर न होने की स्थिति में अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध नहीं किया गया जबकि कागज सं0-5/15 साईबर सैल प्रभारी की आख्या स्पष्ट करती है कि पीड़िता की फेसबुक प्रोफाइल को अभियुक्त के मो नं0-7906068025 से संचालित किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त की ओर से उठाये गये इस तर्क में बल नहीं है। अतः अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा-67 आई 0 टी0 एक्ट साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है जिसके लिए अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

21. धारा-328 भा0 दं0 सं0 के सम्बन्ध में पीड़िता ने बताया कि *"आशीष ने मेरी वीडियो बना लिया था जब मैंने पूछा कि यह वीडियो कब बनाया तो आशीष ने बताया कि मैंने नशीला पदार्थ खिला दिया था और उसके पश्चात् वीडियो बनायी थी।"* जब जिरह में इस बारे में पूछा गया तो पीड़िता द्वारा बताया गया कि *"मुझे नशीला पदार्थ मेरे घर नहीं खिलाया था। मुझे ध्यान नहीं है कि मुझे नशीला पदार्थ कब खिलाया था। मैं नहीं बता सकती कि मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध कब बनाये थे।"* ऐसा कोई वीडियो विवेचक द्वारा पत्रावली पर भी दाखिल नहीं किया गया है जिसमें कि पीड़िता

नग्न अवस्था में हो। ऐसी कोई चिकित्सीय आख्या भी पत्रावली पर नहीं है। पीड़िता स्वयं भी उक्त तथ्य को स्पष्ट रूप से बताने में असमर्थ है कि कब नशीला पदार्थ दिया गया था, क्या वह तिथि थी जब वह तथाकथित वीडियो अभियुक्त द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर बनाया गया, ऐसी स्थिति में संभावनाओं के आधार पर अभियुक्त को धारा-328 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डित नहीं किया जा सकता।

22. धारा-504 व 507 भारतीय दण्ड संहिता के सम्बन्ध में पीड़िता ने बताया कि *"अभियुक्त ने उसके साथ गाली गलौच की थी व उसे धमकी दी थी।"* इस सम्बन्ध में जिरह में कहा कि *"मुझे धमकी दी थी कि बाकी फोटो भी अपलोड कर दूँगा। यह कहना सही है कि मैंने तहरीर में यह लिखा है कि अगर तू अभी वापस नहीं आयी तो मैं तुझे व तेरे परिवार को बरबाद कर दूँगा और मेरी अश्लील फोटो व वीडियो सब में वायरल कर दिये। यह बात मैंने ही लिखी है किसी के कहने पर यह बात नहीं लिखी थी। आपने फोन पर धमकी नहीं दी थी, गन्दी गन्दी गालियाँ भी नहीं दी थी, सिर्फ फोटो अपलोड करने को कहा था।"* आगे कहा कि *"मैंने तहरीर सोच समझकर लिखी थी और मुझे बहुत तेज गुस्सा भी था, कुछ चीजे मैंने बढ़ा चढ़ाकर भी लिखी थी।"*

इस प्रकार जबकि पीड़िता स्वयं यह कथन कर रही है कि अभियुक्त ने उसे धमकी नहीं दी थी, गाली गलौच नहीं किया था बल्कि फोटो अपलोड करने के लिए कहा था, धारा-504 व 507 के अन्तर्गत अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु आधार पर्याप्त नहीं है।

23. अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष, प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त आशीष एग्वर्ट के विरूद्ध लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा– 376 , 328,504 व 507 भारतीय दण्ड संहिता, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है जिसके लिए अभियुक्त आशीष एग्वर्ट दोषमुक्त किये जाने योग्य है परन्तु अभियोजन पक्ष अभियुक्त आशीष के विरूद्ध लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा–67ए आई.टी.एक्ट, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है जिसके लिए अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–780/2023, मुकदमा अपराध संख्या–140/2023, थाना मझौला, जिला मुरादाबाद से संबंधित अभियुक्त आशीष एग्वर्ट को **धारा–376,328,504** व **507 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है एवं **धारा–67ए आई.टी.एक्ट** के अन्तर्गत **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली 03.00 बजे पेश हो।

दिनाँक–20.01.2026

(प्रीति सिंह–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0–1, मुरादाबाद
ID No.-UP 1613

03.00 PM

दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु अभियुक्त जेल से उपस्थित आया। सिद्धदोष अभियुक्त आशीष एग्वर्ट को सजा के प्रश्न पर सुना गया। सिद्धदोष अभियुक्त आशीष एग्वर्ट द्वारा कथन किया गया है कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, अतः उसको जेल में बितायी गयी अवधि पर ही छोड़ दिया जाये। जुर्माने के बारे में कहा गया कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह जुर्माना अदा कर सके।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री अशोक कुमार यादव द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को कठोर–से–कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियुक्त द्वारा पीड़िता का फोन हैक कर उसके फेसबुक अकाउण्ट पर उसके फोटोचित्रों को वायरल किया गया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में अभियुक्त को धारा– **67ए आई0टी0 एक्ट** में **दोषसिद्ध** किया गया है, जिसमें कि प्रथम अपराध के दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष तक के कारावास और 10 लाख रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अभियुक्त के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रपत्र अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं है कि उक्त धारा में पूर्व दोषसिद्ध रहा हो, इससे स्पष्ट है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है, इस आधार पर अभियुक्त को 5 वर्ष तक के कारावास व 10 लाख रूपये तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

समस्त तथ्यों पर विचार किया। अभियुक्त द्वारा कहा गया कि उसकी जुर्माना दिये जाने की हालत नहीं है, ऐसी स्थिति में किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को 4 वर्ष के कारावास व 1 लाख रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

अभियुक्त आशीष एग्वर्ट को आई0टी0 एक्ट की धारा–67ए में **4 वर्ष के कारावास** व **1** लाख रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में **6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास** की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्त से वसूल की जाने वाली सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि में से **75 प्रतिशत** धनराशि (पचास प्रतिशत) पीड़िता को बतौर प्रतिकर नियमानुसार उसकी पहचान सुनिश्चित करके प्रदान की जाये। शेष वसूल की जाने वाली धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जाये।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बिताई गयी अवधि इस दण्डादेश में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त का का दोषसिद्ध अधिपत्य तैयार कर उसे जिला कारागार, बिजनौर प्रेषित किया जाये।

दिनाँक–20.01.2026

(प्रीति सिंह–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0–1, मुरादाबाद
ID No.-UP 1613

उक्त दण्डादेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनाँक–20.01.2026

(प्रीति सिंह–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0–1, मुरादाबाद
ID No.-UP 1613